



**झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची**  
**JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI**

**वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2011 के उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन से संबंधित आवश्यक सूचना**

**विज्ञापित संख्या - 36/2011**

एतद् द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/मूल्यांकन केन्द्र निदेशकों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक परीक्षा, 2011 की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निम्न कोटि के विद्यालयों के भी कुछ शिक्षकों की नियुक्ति प्रधान परीक्षक/सह-परीक्षक होने की सूचना प्राप्त हुई है:-

- 1) गैर अनुदानित स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय।
- 2) निजी माध्यमिक विद्यालय जिसे स्थापना अनुमति भी नहीं दी गई है।
- 3) वर्ष 1988-89 चरण के परियोजना बालिका विद्यालय।
- 4) ऐसे प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, जिनकी प्रतिनियुक्ति उच्च विद्यालय से समाप्त कर दी गई है।

आपसे अनुरोध है कि आपके जिला/मूल्यांकन केन्द्र पर उक्त कोटि के शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षक के रूप में हुई हो, तो उसे रद्द समझा जाय और उनसे मूल्यांकन कार्य नहीं लिया जाय।

अध्यक्ष के आदेशानुसार,

ह./-

( यमुना गिरि )

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Inter/8548/11/SECY/158/11

Dt. 23.04.2011

D.O.P. 24.04.2011